



उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-70/2026/986/तीस-3-2026
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2026

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से जनहित में निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित उप परिवहन आयुक्त को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद/स्थान पर एतद्वारा स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम एवं पद (वर्तमान तैनाती)	नवीन तैनाती
1	2	3
1	श्री के०डी० सिंह गौर, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), झांसी	उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), मुख्यालय। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यों का निर्वहन करेंगे एवं उक्त कार्यों के निर्वहन में तैनाती अवधि में परिवहन आयुक्त के बाद उच्चतम अधिकारी के रूप में कार्य देखेंगे तथा सीधे परिवहन आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे।
2	श्री संजय सिंह, उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), मुख्यालय अतिरिक्त प्रभार अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), मुख्यालय।	उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), झांसी

2. उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करते हुए, उपरोक्त अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्वतः कार्यमुक्त हो जायेंगे।

के०पी० सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- (2) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- (3) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्थानान्तरण आदेश की प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराकर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण आदि के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-03/2026/93/सामान्य/सैंतालिस-का-4-2026-1/3/96, दिनांक 05 मई, 2026 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
- (5) संबंधित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ०प्र० ।
- (6) संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ०प्र० ।
- (7) संबंधित अधिकारी।
- (8) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।